रै नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 अप्रैल, 1984/18 चैत्र, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171002, 9 मार्च, 1984

संख्या 7-35/83 श्रम.––कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63) की धारा 112 के अध्ययन सहित धारा 40 ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियम नामतः हिमाचल प्रदेश कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियम, 1963 बनाने का प्रस्ताव करते हैं। प्रारूप नियम एतद्द्वारा उनसे सम्भावय प्रभावित व्यक्तियों की सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं। जैसा कि कथित अधिनियम की धारा 115 द्वारा अपेक्षित है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है, कि इस अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् इन नियमों पर विचार किया जाएगा।

646-राजपत्र/84–7-4-84—1,145.

मूल्य : 20 पैसे ।

उनसे सम्भाव्य प्रभावित कोई भी व्यक्ति जिसे अपनी आपत्तियां या सुझाव देने हैं उन्हें उल्लिखित अवधि के भीतर सचिव (श्रम और नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को भेज सकता है इस प्रकार प्राप्त किन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियम, 1983 है।

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) ये नियम तत्काल प्रवृत होंगे।

2. अर्हताएं.—कोई भी व्यक्ति उस समय तक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास निम्नलिखित अर्हताऐं न हों:—

(क) अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी को किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिग्री और किसी कारखाने में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का एक वर्ष से अन्यून अवधि का व्यवहारिक अनुभव ; या

(ख) भौतिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान में मान्यता प्राप्त स्नातक की डिग्री और किसी कारखाने में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का व्यवहारिक अनुभव ; या

(ग) अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी को किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा और किसी कारखाने में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने का दो वर्ष की अवधि का व्यवहारिक अनुभव ;

(घ) जिस कारखाने में उसे नियुक्त किया जाना है उस कारखाने में कार्यकरने वाले अधिकांश श्रमिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा/बोली का प्रर्याप्त ज्ञान।

(2) खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसके पास:—

(*i*) अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री के साथ एक वर्ष का कार्य अनुभव या डिप्लोमा के साथ दो वर्ष का कार्य अनुभव है और केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग, जो कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रशासन की कार्रवाई करता हो, में पांच वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव हो; या

(*ii*) अभियान्त्रिकी या प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा तथा उद्योग या किसी संस्थान में दुर्घटना की रोकथाम के क्षेत्र में 2 वर्ष से अन्यून अवधि का पूर्ण-कालिक प्रशिक्षण शैक्षणिक परामर्श या अनुसंधान कार्य सम्बन्धी अनुभव हो; भी सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह कि मुख्य निरीक्षक ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करें, इस उप-नियम की अपेक्षताओं से छूट दे सकेगा यदि उसकी राय में आवश्यक अर्हताओं और अनुभव प्राप्त उपयुक्त व्यक्ति, नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो:

परन्तु यह और भी कि ऐसे व्यक्ति के मामले में जो इन नियमों के प्रवृत होने की तारीख को, दो वर्षों से अन्यून अवधि तक सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करता रहा हो, मुख्य निरीक्षक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करें, ऊपर कथित सभी या किसी भी अर्हता को छुट दे सकेगा।

3. सेवा की शर्तें.—(1) जहां राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा अपेक्षित, कारखाने में नियुक्त किये जाने वाल सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक से अधिक हो, उनमें से एक को मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदाविहित किया जाएगा और उसकी प्रास्थिति अन्य से उच्च होगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियम 4 में निर्दिष्ट बचाव का ों का पूर्ण रूप से प्रभारी होगा और अन्य सुरक्षा अधिकारी उसके नियन्त्रण के अधीन कार्य करेंगे।

(2) जिन कारखानों में केवल एक ही सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाना अपेक्षित हो उनके मामले में मुख्य सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी को वरिष्ठ कार्यकारणी की प्रास्थिति दी जायेगी और वह पूर्णतया कारखाने के मुख्य कार्यकारी के नियन्त्रणाधीन कार्य करेगा। अन्य सभी सुरक्षा अधिकारियों को उन द्वारा अपने कृत्यों का प्रभावकारी ढंग से निर्वहन करने के लिए उपर्युक्त प्रास्थिति दी जाएगी।

(3) मुख्य सुरक्षा अधिकारी सहित सुरक्षा अधिकारियों को देय वेतनमान और भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो कि कारखाने में तत्सम प्रास्थिति के अन्य अधिकारियों की है।

(4) पदच्युति या सेवा मुक्ति की स्थिति में सुरक्षा अधिकारी को राज्य सरकार को जिसका निर्णय अन्तिम होगा, अपील करने का अधिकार होगा।

4. सुरक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य.—कारखाने के प्रबन्ध मण्डल को व्यक्तिगत क्षति की रोकथाम और कार्य के सुरक्षित पर्यावरण को बनाए रखने से सम्बन्धित इसको काननी या अन्यथा बाध्यताओं को पूरा करने म परामर्श देना और सहायता करना, होगा।

इन कर्त्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे नामत :—

(क) सम्बन्धित विभागों की व्यक्तिगत क्षति के सम्बन्ध में प्रभावी नियन्त्रण के लिए आवश्यक योजना और उपायों के संचालन के लिए परामर्श देना;

(ख) सभी कार्य अध्ययनों में सुरक्षा के पहलुओं पर परामर्श देना तथा विशिष्ट कार्यों के लिए विस्तृत सुरक्षा अध्ययन का सम्पादन करना;

(ग) व्यक्तिगत क्षति की रोकथाम के लिए की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के परिणामों का मूल्यांकन तथा जांच पडताल करना;

(घ) भण्डार क्रय विभाग को उच्च स्तर के क्रय को सुनिश्चित करने एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के साधनों की उपलब्धता बारे परामर्श देना;

(ड़) संयन्त्र सुरक्षा निरीक्षणों के कार्यन्वयन से सम्बन्धी मामलों में परामर्श देना;

(च) कार्य की वास्तविक स्थिति और श्रमिकों द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली और प्रक्रिया का पता लगाने के उद्देश्य से संयन्त्र का सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित परिस्थितियों को दूर करने के लिए और कर्मकारों द्वारा असुरक्षित कार्रवाई की रोकथाम के लिए अपनाएं जाने वाले उपायों पर परामर्श देना;

(छ) औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा रोगों की सूचना तथा जांच पड़ताल सम्बन्धी मामलों में परामर्श देना;

(ज) विशिष्ट दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल करना;

(झ) औद्योगिक भंयकर रोगों तथा भयानक दुर्घटनाओं के मामलों जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 88 के और 89 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहीत किए जाएं की जांच पड़ताल करना;

(ञ) ऐसे अभिलेखों को बनाये रखने में परामर्श देना जो दुर्घटनाओं, भयानक धटनाओं तथा औद्योगिक रोगों के सम्बन्ध में आवश्यक हो;

(ट) सुरक्षा समितियों के गठन के लिए प्रोत्साहन देना तथा ऐसी समितियों के सलाहकार और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना;

(ठ) सम्बन्धित विभागों के सहयोग से अभियान, प्रति स्पधायें प्रतियोगिताओं तथा अन्य गतिविधियों को आयोजित करना जिससे कि कर्मकारों में कार्य और प्रक्रिया की सुरक्षित परिस्थितियां स्थापित करने और बना रखने की भावना उत्पन्न होगी तथा बनी रहेगी; और

(ड) व्यक्तिगत क्षति की रोकथाम के लिए स्वतन्त्रता रूप से या प्रशिक्षण विभाग के सौजन्य से समुचित प्रशिक्षण तथा शक्षिक कार्यक्रम तैयार करना तथा उनका संचालन करना।

5. सुरक्षा अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं.—कारखाने का मालिक, प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधायें उपकरण तथा सूचना उपलब्ध करवायेगा जो कि उस द्वारा अपने कर्त्तव्यों का प्रभावकारी रूप से निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

6. अन्य कार्य के निष्पादन पर प्रतिबन्द.—कारखाने के मुख्य निरीक्षक को पूर्व अनुमति के अतिरिक्त किसी भी सुरक्षा अधिकारी से किसी भी ऐसे कार्य की अपेक्षा नहीं की जाएगी या करने की अनुमति नहीं दी जा गी, जो कि नियम-4 में विहित कर्तव्यों से असंगत हो अथवा उनके अनुपालन के लिए हानिकारक हो।

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

शिमला-171004, 9 मार्च, 1984

सं0 2-426/69-एस.आई.-2.—बागन श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 69) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से राजपत्र हिमाचल प्रदेश दिनांक 22 जुलाई 1978 में इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 1978 द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश बागन श्रम नियम, 1978 में निम्नलिखित रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं।

अतः इससे प्रभावित होने वाला या हितवद्ध कोई भी व्यक्ति अपने आक्षेप एवम् सुझाव इस प्रस्ताव के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर सचिव (श्रम रोजगार एवं मुद्रण) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला 171002 को भेज सकता है, आक्षेप एवम् सुझाव, यदि कोई हो पर उक्त अवधि के अवसान पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा और संशोधन प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जायेगा:—

PROPOSED AMENDMENT

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) These rules shall be called the Himachal Pradesh Plantations Labour (First Amendment) Rules, 1984.

(2) These rules shall extend to the State of Himachal Pradesh.

(3) These rules shall come into force from the date of publication of the rules in the Himachal Pradesh Rajpatra.

2. After Chapter-1 of the Himachal Pradesh Plantations Labour Rules, 1978, hereinafter called the said rules, the following new Chapter F-A shall be inserted, namely:—

CHAPTER I-A

2.A. *Registration of Plantations.*—(1) An application for registration of a plantation shall be made in Form No. 1 and shall be accompanied by a treasury challan under which the fee prescribed under sub-rule 2 of this rule has been deposited.

(2) The employer shall pay the fees by depositing into a treasury or sub-treasury in Himachal Pradesh under Head "B—Social and Community Services 087—Labour and Employment-fee realized under the Plantations Labour Act" on the scale given below:—

(*a*) for a plantation with an area of ten or less than ten hectares of land. Rs. 10/-.

(*b*) for plantation with an area of more than ten hectares but not more than 20 hectares of land. Rs. 25/-

(*c*) for other plantations Rs. 50/-

(3) The Registering Officer shall maintain a register of plantations in Form I-A and shall enter in it particulars of every plantation with separate page.

(4) The Registering Officer shall issue to the employer a certificate of registration in form No. I-B.

(5) Intimation regarding the change that may occur in the ownership on management or in the extent of the area or other particulars mentioned in Form-I.C.

(6) Before passing an order under sub-section (6) of section 3-B of the Act, the Registering Officer may hold such inquiry as he may consider necessary:

Provided that the Registering Officer shall give to the employer an opportunity of being heard before rejecting a request for cancellation of registration of a plantation or for rejecting any other request contained in the application presented to him in Form I-C.

2-B. *Appeal.*—An appeal against an order passed by a Registering Officer under sub-section (6) of section 3 (B) 3B shall lie to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh:

Provided that an appeal against an order passed by the Labour Commissioner, Himachal Pradesh as Registering Officer shall lie to such Officer of the Government of Himachal Pradesh as that Government may appoint in this behalf.

2-C. *Procedure for appeal.*—(1)(*a*) Every appeal under sub-section (1) of section 3-C of the Act, shall be preferred in the from of memorandum signed by the appellant or his authorised agent and presented to the appellate authority in person or sent to him by registered post.

(*b*) The Memorandum shall be accompanied by a certified copy of the order appealed from, which shall be supplied to him by the Registering Officer free of cost.

(2) The Memorandum shall set forth consisely and under distinct head the grounds of appeal against the order appealed from.

(2) Where the memorandum of appeal does not comply with the provisions of sub-rule (1) above, it may be rejected or returned to the appellant for the purpose of being amended within a time to be fixed by the Appellate authority.

(3) Where the appellate authority reject the memorandum under sub-rule (2) above or on the ground of limitation, he shall record the reason for such rejection; and communicate the order to the appellant.

(4) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate authority shall admit the appeal, endorse thereon the date of presentation and shall register the appeal in a book to be kept for the purpose called the register of appeal.

(5) When the appeal has been admitted, the appellate authority shall send the notice of appeal to the Registering Officer, as the case may be from whose order the appeal has been preferred and the Registering Officer shall send the record of the case to the appellate authority.

(6) On receipt of the record, the appellate authority shall send a notice to the appellant

to appear before him at such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal.

(7) If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate authority may dismiss the appeal for default of appearance of the appellant appeal unless the appellant authority chooses to consider to decide the appeal *ex parte* on merits.

(8) (*i*) Where an appeal has been dismissed under sub-rule (7) of the appellant may apply to the appellate officer for the re-admission of the appeal, and where it is proved that he was prevented by a sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing, the appellate authority shall restore the appeal on its original number.

(*ii*) Such an application shall, unless the appellate authority extends the time for sufficient reason, be made within 30 days of the date of dismissal.

(9) If the appellant is present when the appeal is called on for the hearing, the appellate authority shall proceed to hear the appellant or his authorised agent and any other person summoned by him for this purpose, and pronounce the judgment of the appeal, either confirming, reversing or varying the order appealed from.

(10) (*a*) The judgement of the appellate authority shall State the points for determination, the decisions thereon and the reasons for the decisions.

(*b*) The order shall be communicated to the appellant and copy there of shall be sent to the registering officer from whose order the appeal has been preferred.

3. In sub-heading of said Chapter-II of the said rules the figure and word "4 and" shall be inserted between the word and figure "section" and '5'.

4. The existing rule 3 of the said rules shall be re-numbered as clause (3) and before that the following shall be inserted as clauses (1) and (2):—

(*i*) An officer of the State Government not lower than the rank of a Labour Inspector shall be duly qualified to be appointed as Additional Inspector under the Act and an officer of the State Government not lower than the rank of a Joint Commissioner shall be qualified to be the Chief Inspector under the Act.

(*ii*) Subject to such directions as the State Government may give in this behalf, the Chief Inspector may declare the local area or areas within which or the plantations with respect to which Inspectors and Additional Inspectors shall exercise their powers under this Act.

5. In rule 32 of the said rules, the words 'to which section 12 of the Act applied' shall be substituted for the words "wherein fifty or more women workers are employed or were employed on any day of the preceding twelve months".

6. After Chapter-IV of the said rules, the following new Chapter-IV-A shall be inserted:—

CHAPTER IV-A

ACCIDENTS AND COMPENSATION

Rules made under section 16-A to section 16-G.

69-A. *Commissioner*.—A member of the Indian Administrative Services or Himachal Pradesh Administrative Services shall be qualified to be appointed as Commissioner for the purpose of determining the amount of compensation payable under section 16-A.

69-B. *Procedure in proceedings before the Commissioner and other matters.*—The provisions of the Workmen's Compensation Act, 1923 (Central Act No. 8 of 1923) and the rules made by the Government of Himachal Pradesh thereunder shall apply *mutatis mutandis* to the proceedings before the Commissioner to the extent such provisions are consistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

69-C.—The amount of compensation awarded under the Act may be recovered as an arrear of land revenue on the receipt of a certificate from the Commissioner by the Collector of the district in which the plantation, the deceased or injured worker was or is working, is situated and for this purpose the provision of the Revenue Recovery Act, 1890 and the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 shall apply.

7. After Chapter VI of the said rules the following new Chapter VI-A shall be inserted:—

CHAPTER VI-A

ACCIDENTS

Rules made under section 32-A and 32-B.

81-A. (1) When an accident occurs which causes death or which causes any bodily injury to a worker by reason of which he is prevented from working for a period of 48 hours or more immediately following the accident or an accident of the type mentioned in the Schedule appended to these rules occurs, the employer shall forthwith send notice thereof by a special messanger, telephone or telegram to the Inspector or Additional Inspector in whose jurisdiction the accident has occurred:

Provided that, if the accident is fatal or is likely to prove fatal, notice as aforesaid shall also be sent to the Chief Inspector and the Officer-in-charge of the nearest Police Station:

Provided further that an oral or telegraphic message will invariably be followed by a notice in writing in Form II-A to be despatched by registered post on the day next following the date of the accident.

(2) A register of accidents shall be maintained in Form II-B.

8. The Form No. 1 of the said rules shall be renumbered as From F. D.

FORM-I

[*See rule* 2 A (1]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF A PLANTATION

1. Name and location of plantation
2. Full name and particulars including parentage and residential address and postal address of—
   (*i*) The employer of the plantation in case of a private firm/proprietary concern.
   (*ii*) Directors in the case of company/firm.
   (*iii*) The Chief Administrative Head of the Department in the case of a Government or local fund plantation.
3. Full name and address of the Manager or person responsible for the supervision and control of the plantation.
4. (*a*) Area of plantation indicating khasra number and area of each khasra.
   (*b*) Area of the land actually under plantation in a khasra number and their areas.

5. Maximum number of workers employed on any day during the last twelve months.
6. Particulars of treasury receipt enclosed.....
(Name of treasury, amount and date)

I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Employer.

PLACE.....

DATE.....

FORM-IA

[*See rule* 2A (3)]

REGISTER OF PLANTATIONS

S. No.	Name and location of plantation	Full name and particulars including parentage, residential address and postal address of		
		Employer of the plantation in case of private firm/proprietary concern	Director in case of company or firm	The Chief Administrative Head in the case of Government or local fund plantation
1	2	3(*a*)	3(*b*)	3(*c*)

Full name and address of the Manager or person responsible for the supervision and control of the plantation	Area of the plantation indicating khasra No. and area of each khasra	Area of land actually under plantation with khasra No. and the area
4	5(*a*)	5(*b*)

Maximum number of workers employed on any day during the twelve months	Particulars of treasury receipt enclosed (Name of treasury, amount and date)	Remarks
6	7	8

Date of receipt of application.

Seal and Stamp
Office of the Registering Officer

FORM I-B

[*See rule* 2A (4)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Certified that the plantation bearing the following particulars has been registered under section 3-A (4) of the Plantations Labour Act, 1951 and the rules made thereunder at serial number.....*.....of the register maintained in the office of the undersigned.

1. Name of the plantation.....
2. Area under plantation.....
3. Khasra No.....
4. Village.....
5. Tehsil.....
6. District.....

DATE:

Signature of the Registering Officer with seal.

*The number to be indicated here shall include the place of the headquarters of the registering officer and the serial number at which the particulars of the relevant plantation has been entered in the register.

FORM I-C

FORM OF CHANGE IN OWNERSHIP/MANAGEMENT/EXTENT OF AREA OR OTHER PARTICULARS MENTIONED IN THE APPLICATION FORM REFERRED TO IN SUB-RULE (5) AND (6) OF RULE 2-A

The Registering Officer,
.....

I hereby notify that the following change(s) has/ have/taken place with effect from..... (date) in respect of my plantation as supplied by me in my application dated.....

My registration certificate number is.....dated.....

(Here mention the change)

.....

.....

Therefore, you are requested to @ cancel the registration of my plantation/issue a fresh certificate of registration incorporating the above changes.

DATED:

Signature of the employer.

@Strike off whichever is not applicable.

FORM II-A

NOTICE OF ACCIDENT

[*See rule* 81-A (1)]

1. Name of the employer
2. Address of work where accident occurred
3. Exact place where the accident occurred
4. Injured persons:
   (*a*) Name
   (*b*) Parentage
   (*c*) Age
   (*d*) Sex
   (*e*) Occupation
   (*f*) Full address
5. Date and hour of accident
6. Hour which he started work on the day of accident
7. (*a*) Cause or nature of accident
   (*b*) If caused by machinery
   (*c*) Give name of the machine and part causing the accident and (*b*) (*i*)
   (*ii*) State whether it was moved by mechanical power at the time (*b*) (*ii*)
   (*d*) State exactly what injured person was doing at the time. (*c*)
8. Nature and extent of injuries (*e.g.* fatal, loss of finger, fracture of leg, scaled, scratch followed by sepsis).
9. If accident is not fatal or likely to be fatal, state whether the injured person is likely to be prevented from working for 48 hours or more immediately following the accident.
10. Name or Medical Officer in attendance on injured person.

I certify that to the best of my knowledge and belief, the above particulars are correct in every respect.

Signature of occupier or Manager.
Date of despatch of report.....

FORM II-B

[*See rule* 81-A (2)]

REGISTER OF ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES

Name of injured person (if any)	Date of accident	Date of report	Nature of accident	Date of return of injured person to work	No. of days injured person was absent from work	Compensation determined with date of determination	Compensation paid with date of payment
1	2	3	4	5	6	7	8

SCHEDULE

[*See rule* 81-*a* (1)]

1. Accident causing total or partial disablement or disfiguration
2. Any other type of accident which may be added to the Schedule by the Government of Himachal Pradesh by an order

HARSH GUPTA,
Secretary.

LABOUR, EMPLOYMENT & PRINTING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 13/14*th March*, 1984

No. 8-18/80-Shram.—In partial modification of this Department notification of even number, dated the 8th October, 1982 the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under sub-section (2) of section 13 of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (No.19 of 19776) is pleased to nominate Shri Ram Dass, Advocate, resident of Mandi as a member of the District Vigilance Committee, Mandi in place of Shri Mahant Ram, Advocate, resident of Mandi.

By order,
Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary.*

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 14 मार्च, 1984

संख्या 8–32/79-श्रम.––अन्तर राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के प्रयोजनार्थ 15-3-1984 की तारीख नियत करते हैं।

आदेशानुसार,
हर्ष गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव (श्रम)।

[*Authoritative English text of this Government No.* 8-32/79 *Shram dated* 14-3-1984 *as required under article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 14*th March*, 1984

No. 8-32/79-Shram.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act,

1979 (Act No. 30 of 1979), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 15th March, 1984 as the date for the purpose of section of the Act *ibid.*

By order,
HARSH GUPTA,
Commissioner-cum-Secretary.

मण्डी प्लानिंग एरिया में भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र के प्रकाशन की सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मण्डी निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र को हिमाचल प्रदेश नगर एवम् ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (क्रमांक 12, सन् 1977) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति, निदेशक, हिमाचल प्रदेश नगर एवम् ग्राम योजना संगठन, यू0एस0 क्लब, शिमला-171001 व सहायक नगर योजनाकार, मण्डी के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि केवल वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो लिखित रूप में निदेशक, हिमाचल प्रदेश नगर एवम् ग्राम योजना संगठन को "हिमाचल प्रदेश राजपत्र" में सूचना की प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर भेजा जाना चाहिये।

भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी उक्त मानचित्र के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि से पूर्व प्राप्त हो, निदेशक द्वारा विचार किया जायेगा।

हस्ताक्षरित/-
निदेशक,
नगर एवम् ग्राम योजना संगठन,
हिमाचल प्रदेश, शिमला 171001.

TOWN & COUNTRY PLANNING ORGANISATION HIMACHAL PRADESH

NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LAND USE MAP FOR MANDI PLANNING AREA

Shimla-1, the 15th March, 1984

No. HIM/TP-21/84-1517-70.—Notice is hereby given that the existing land use map for Mandi Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) and a copy thereof is available for inspection during office hours in the office of the Director, Town & Country Planning Organisation, Himachal Pradesh, Shimla and Divisional Town Planning Cell, Mandi.

If there is any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Director, Town & Country Planning Organisation, Himachal Pradesh, Shimla within a period of thirty days from the date of publication of the Notice in the Himachal Pradesh Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Director.

Sd/-
Director,
Town & Country Planning Organisation.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 14 मार्च, 1984

संख्या 6-25/77 (परिवहन).—हिमाचल प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम 4) की धारा-14 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय नेहरू साइंस सेंटर, डा0 ई0 मोसे रोड, वरली. बम्बई-400018 की मोटर गाड़ियों नं0 एच0आर0 एल0 9415 व एम0एम0एफ0 1364 को टोकन टैक्स संदाय से छूट देते हैं।

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

[In pursuance of clause (*c*) of Article 348 of Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the 'English text' of notification No, 6-25/77 (Parivahan), dated 14-3-1984 for the general information of the public.]

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 14*th March*, 1984

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 14 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exempt the vehicles No. MRL-9415 and MMF-1364 of the Nehru Science Centre, Dr. E. Moses Road, Worli, Bombay-400018, from the payment of the token-tax in Himachal Pradesh.

By order,
HARSH GUPTA,
Secretary.

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 15*th March*, 1984

No. LSG-A (4)-34/81.—In exercise of the powers conferred under section 14 of the Himachal Pradesh, Municipal Act, 1968, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the resignation of Shri Dalip Kumar Sharma, member, Notified Area Committee, Bhotta, District Hamirpur, Himachal Pradesh with immediate effect.

By order,
Sd/-
Secretary.

स्थानीय स्वायत प्रशासन विभाग

अधिसूचनाऐं

शिमला-171002, 23 मार्च, 1984

संख्या एल0एस0जी0ए0(4)-30/82.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, कुछ या सभी मामलों के सम्बन्ध में जिन पर हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19) की धारा 51 के अधीन नगरपालिका निधि व्यय किया जा सकेगा, समुचित व्यवस्था अपेक्षित है;

और कथित क्षेत्र को नगरपालिका के रूप में गठित किया जाना समीचीन नहीं है।

अतः अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कथित अधिनियम की धारा 256 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर में तलाई के स्थानीय क्षेत्र को जिसकी सीमाएं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, कथित अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं :—

अनुसूची

गांव का नाम 1	खसरा नं0 2	कुल क्षेत्र 3
1. चंगर तलाई	1 से 728 किता 937	637 एकड़
2. सेऊ	1 से 123 किता 147	78 एकड़

[In pursuance of clause (3) of Article 348 of Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh is pleased to publish the authoritative English text of Notification No. LSG. A (4) 30/81, dated 23-3-1984 for the general information of the public.]

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

Shimla-2, the 23rd March, 1984

No. LSG. A (4)-30/81.—Whereas the Governor, H.P. is of the opinion that impound arrangements are required with respect to some or all of the matters upon which municipal funds may be expanded under section 51 of H.P. Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968) within the area specified in the schedule ;

That whereas it is not expedient to constitute the said area as a municipality;

And now, therefore, the Governor, H.P. in exercise of the powers conferred upon him under section 256 of the said Act, is pleased to declare the local area of Talai in Bilaspur Distt., H.P. the boundaries of which are specified in the schedule to be a Notified Area for the purpose of said Act.

SCHEDULE

Name of Village	*Khasra Nos*	*Total area*
(1) Changer Talai	1 to 728 Kite 937	637 acres
(2) Seu	1 to 123 Kite147	78 acres

शिमला–171002, 23 मार्च, 1984

संख्या एल0 एस0 जी0 ए0 (4)-30/81.—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 की धारा 257 की उप-धारा (1) के खण्ड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, तहसीलदार घुमारवीं को अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त अधिसूचित क्षेत्र समिति, तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का तत्काल तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रधान नियुक्त करते हैं।

[In pursuance of clause (3) of article 348 of Constitution of India, the Governor, H.P. is pleased to publish the authoritative English text of notification No. LSG-A (4)-30/81, dated 23-3-1984 for the information of general public.]

Shimla-2, *the* 23*rd March*, 1984

No. LSG-A(4)-30/81.—In exercise of the powers conferred by clause (*e*) of sub-section (1) of section 257 of H.P. Municipal Act, 1968 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Tehsildar, Ghumarwin as *ex-officio* President, of the Notified Area Committee, Talai, Distt. Bilaspur for a period of three years in addition to his own duties with immediate effect.

शिमला–171002, 23 मार्च, 1984

संख्या एल0 एस0 जी0 ए0 (4)-30/81.—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अधिसूचित क्षेत्र समिति तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या दस (पांच सरकारी तथा पांच गैर-सरकारी) निर्धारित करते हैं।

[In pursuance of clause (3) of Article 348 of Constitution of India the Governor, H.P. is pleased to publish the authoritative English text of Notification No. LSG.A (4)-30/81, dated 23-3-1984 for the general information of the public].

Shimla-2, *the* 23*rd March*, 1984

No. LSG.A(4)-31/81.—In exercise of the powers conferred by section 10 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act of 19 of 1968) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to fix the number of the official/non-official members of Notified Area Committee Talai on as ten (5 official and 5 non-official) only.

शिमला–171002, 23 मार्च, 1984

संख्या एल0 एस0 जी0 ए0 (4)-30/81.—हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19) की धारा 257 की उप-धारा (1) के खण्ड (डी) और (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित को तत्काल तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र समिति तलाई, ज़िला बिलासपुर के सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त करते हैं:—

सरकारी सदस्य:

1. तहसीलदार, घुमारवीं — सदस्य
2. नायब-तहसीलदार, घुमारवीं — ,,
3. एस0 डी0 ओ0, पी0 डब्ल्यू0 डी0, बरठी — ,,
4. एस0 डी0 ओ0 विद्युत, बरठी, — ,,
5. इन्चार्ज आयुर्वेदिक डिसपैन्सरी, तलाई — ,,

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्री भगत राम सुपुत्र श्री ठंगारू राम, गांव सेओ — सदस्य
2. श्रीमती जानकी देवी विधवा श्री कुपुरू हरिजन, गांव तलाई — ,,
3. श्री बाबू राम, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, गांव सेओ — ,,
4. श्री अर्जुन सिंह पटियाल सुपुत्र श्री बसन्त सिंह, दुकानदार, तलाई — ,,
5. श्री निकू राम सुपुत्र श्री सुन्दर राम, सडियूल ट्राइब/भूतपूर्व सैनिक — ,,

---

[In pursuance of clause (3) of Article 348 of Constitution of Indin the Governor, H.P. is pleased to publish the authoritative English text of Notification No. LSG.A (4)-30/81, dated 23-3-1984 for the general information of the public].

Shimla-2, the 23rd March, 1984

No. LSG-A(4)-30/81.—In exercise of the powers conferred by clause (*d*) and (*e*) of sub-section(1) of section 257 of the H.P. Municipal Act, 1968 (Act No. 19 of 1968) the Governor, H.P. is pleased to appoint the following official/non-official members of the Notified Area Committee Talai, Distt. Bilaspur, H.P. for a period of three years with immediate effect :—

OFFICAL MEMBERS:

1. Tehsildar, Ghumarwin ... *Member*
2. Naib-Tehsildar, Ghumarwin ... -do-
3. The S.D.O., PWD, Berthin ... -do-
4. The S.D.O, H.P.S.E.B., Berthin ... -do-
5. The In-charge, Ay. Disp., Talai ... -do-

NON-OFFICIAL MEMBERS:

1. Shri Bhagat Ram s/o Shri Sangara, Village Seu ...*Member*
2. Smt. Janki Devi wd/o Shri Kapuru Harijan, Village Talai ... -do-
3. Shri Babu Ram, Retd. Headmaster, Village Seu ... -do-
4. Shri Arjun Singh Patial s/o Shri Basant Singh, Shopkeeper, Talai. ... -do-
5. Shri Nikka Ram s/o Shri Sunder Ram, Sch. Tribes/Ex-Serviceman ... -do

शिमला–171002, 23 मार्च, 1984

संख्या एल0 एस0 जी0 ए0 (4)-30/81.—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19) की धारा 257 की उप-धारा (1) के खण्ड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम के निम्नलिखित धाराओं को अधिसूचित क्षेत्र समिति तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में विस्तारित करते हैं तथा घोषणा करते हैं कि उक्त धाराओं के उपबन्ध इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रवृत होंगे :–

धारायें :

2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 से 18, 19 (2), 19 (3), 20, 21, 23 से 30, 32, 33, 34, 37, 38, 40 से 51, 53 से 57, 63, 70, 72 से 78, 81 से 89, 93 से 112, 114 से 117, 119 से 122, 124, 126, 131 से 135, 137, 139 से 151, 156, 157, 167, 169 से 185, 187, 189 से 192, 195 से 211, 213 से 237, 239 से 251, 253, 254, 255, 261 से 273 ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

[In pursuance of clause (3) of Article 348 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to publish the authoritative English text of Notification No. LSG.A (4)-30/81, dated 23-3-1984 for the general information of the public.]

Shimla-2, the 23rd March, 1984

No. LSG.A (4) 30/81.—In exercise of the powers conferred by clause (*f*) of sub-section (1) of section 257 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1968 (Act 19 of 1968) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to extend the following sections of the said Act to the Notified Area Committee, Talai in Bilaspur district, Himachal Pradesh and declare that the provisions of the said sections shall come into force from the date of issue of notification:–

Sections :

2, 4, 5, 10, 12, 13, 14 to 18, 19(2),19 (3), 20, 21, 23 to 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40 to 51, 53 to 57, 63, 70, 72 to 78, 81 to 89, 93 to 112, 114 to 117, 119 to 122, 124, 126, 131 to 135, 137, 139 to 151, 156, 157, 167, 169 to 185, 187, 189 to 192, 195 to 211, 213 to 237, 239 to 251, 253, 254, 255, 261 to 273.

By order,
Sd-/
Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला–171002, 19 मार्च, 1984

संख्या पी0 सी0 एच-एच0 ए0 (5)-2/84.—क्योंकि श्री अमरसैन, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत सुन्धा-भोण्डा, विकास खण्ड चौहार, जिला शिमला के विरुद्ध पंचायत अनुदान/निधि के अपहरण अथवा शक्तियों के

दुरुपयोग करने के निम्नलिखित आरोप हैं:—

1. स्कूल भवन जखनोटी के निर्माण हेतु प्राप्त मु0 5000/–रु0 की राशि का हिसाब पंचायत को न देकर इस राशि का निजी प्रयोग किया है,
2. मु0 1451/–रु0 की राशि पेय जल योजना भोण्डा के निर्माण हेतु अग्रिम रूप में अपने पास रखी तथा इसका हिसाब पंचायत को नहीं सौंपा,
3. मु0 1000/–रु0 की राशि जो कि ग्राम सुन्धा में बाथरूम को बनाने हेतु अग्रिम रूप से प्राप्त की थी उसका हिसाब पंचायत को न देकर इसका दुरुपयोग किया है,
4. मु0 500/– रु0 की राशि पेय जल योजना जखनोटी के निर्माण हेतु प्राप्त की जिसका हिसाब अभी तक पंचायत को नहीं दिया है;
5. मु0 355/–रु0 की राशि बाबत पेय जल योजना मान्दली के हिसाबात पंचायत को नहीं दिये है,
6. सहकारी बैंक रोहडू से मु0 1500/–रु0 की राशि जिसे निकालने हेतु वास्तव में पंचायत निरीक्षक चौहारा को विहित अधिकारी ने अधिकृत किया था, अनाधिकृत रूप से निकाली तथा इसका इन्द्राज पंचायत की रोकड़ में न करके इसे निजी प्रयोग में लाया,
7. मु0 490/–रु0 की राशि जो कि उक्त प्रधान को पंचायत निधि की वसूली के रूप में प्राप्त हुई जिसे पंचायत के हिसाबात में न लाकर इसका अपहरण किया,
8. मु0 272/–रु0 की राशि की लकड़ी जो कि पंचायत के रिहायशी मकान के निर्माण हेतु क्रय की जो कि उचित नहीं जान पड़ती क्योंकि जिस मात्रा में लकड़ी की खरीद की उसके बराबर न तो प्रयोग हुई और न ही मौका पर मौजूद बताई जाती है अतः इस राशि का दुरुपयोग किया लगता है,
9. दिनांक 12-7-83 को उक्त प्रधान द्वारा पंचायत के अन्य पदाधिकारियों को विश्वास में न लेकर ग्राम सभा सुन्धा-भोण्डा की बैठक अपनी मर्जी से बुलाई जिसमें अवध कार्यवाही लेखबध करके झूटे प्रस्ताव पारित किये। इस तरह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया,
10. सचिव द्वारा पंचायत कार्यालय में सही ढंग से लगाये गये ताले पर अपना एक और ताला लगाया जिससे पंचायत को कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में बाधा डाली,

और क्योंकि उक्त आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री अमर सैन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत जांच करने हेतु उप-मण्डलाधिकारी (ना0), रोहडू, जिला शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। वे अपनी रिपोर्ट जिलाधीश शिमला को शीघ्र प्रेषित कर देंगे।

शिमला–171002, 20 मार्च, 1984

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)-94/79.—क्योंकि ग्राम पंचायत बिलासपुर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, ज़िला कांगड़ा के अंकेक्षण करने पर श्री राम सिंह प्रधान ग्राम पंचायत के विरुद्ध निम्नलिखित गम्भीर अनियमितायें पाई गईं:—

1. गत केकेक्षण पत्र में दर्शाई गई आपत्तियों का समाधान न करना.
2. वाउचर संख्या 48 दिनांक 24-3-83 द्वारा जो व्यय दर्शाया है वह जाली लगता है क्योंकि वर्ष 1983 में पंचायत घर मुरम्मत का कोई कार्य नहीं हुआ,
3. वाउचर संख्या 32, 35, 36 व 37 दिनांक 24-3-84, श्री उत्तमी चन्द के लिखित व्यानानुसार बावड़ी निर्माण ग्राम जलख हेतु कम सामग्री कम दर से तथा कम राशि प्राप्त की है जब कि वह

अनपढ़ होने के नाते प्रधान ने हस्ताक्षर अधिक दर पर करवाये जिससे मु0 635-50 पैसे की अधिक अदायगी दिखा कर इस राशि का अपहरण किया है,

4. रसीद संख्या 9, दिनांक 18-9-80 को श्री चूहड़ू राम के ब्यान अनुसार स्कूल भवन ठम्बा के निर्माण में मिस्त्री का कार्य 6 दिन 15–रु0 की दर से किया है जब कि रसीद पर मु0 135–रु0 की राशि अंकित की है तथा इस प्रकार मु0 45–रु0 का गबन किया,
5. वाउचर संख्या 10, 11, 7 व 12 वर्ष 1980–81 अनुसार श्री लींवड को मु0 180–रु0 की जाली अदायगी बाबत स्कूल भवन ठम्बा के बरामदा हेतु की गई है जबकि इस व्यक्ति ने इसमें कोई कार्य नहीं किया है,
6. प्राइमरी स्कूल भवन ठम्बा के बरामदे के निर्माण पर मु0 1748-85 रु0 व्यय वर्ष 1979-80 व 1980-81 में दर्शाया है। इस कार्य हेतु मु0 1750 रु0 विकास विभाग से स्वीकृत हुआ है। श्री बाल सिंह के कथनानुसार इस कार्य पर 1746 रु0 व्यय हुआ है परन्तु इस कार्य का मूल्यांकन 2 बार मु0 1900-रु0 व 2803-02 पैसे किया गया है । इसके व्यय पर अदायगियों की रसीदें संख्या 4, 5, 6 व 8, दिनांक 10-2-80 सन्दिग्ध है,
7. श्री बाल सिंह के ब्यान अनुसार रसीद संख्या 3 व 1 वर्ष 1980-81 अनुसार क्रमशः 35 व 60–रु0 की अधिक अदायगी हुई है,
8. ठम्बा स्कूल के बरामदा निर्माण हेतु श्री भगवान सिंह के अनुसार वर्ष 1980-81 में रसीद पर उसके हस्ताक्षर जाली हैं तथा मु0 250–रु0 के बजाए उसने दरवाजों की लकड़ी की कीमत मु0 150–रु0 ही प्राप्त किये हैं। इस प्रकार मु0 100–रु0 का गबन किया है,
9. श्रीमती मोही देवी बैवा बन्ता राम को वर्ष 1978 में किराया नगद न देकर दवाइयों के रूप में देना,
10. दिनांक 27-9-83 को रोकड़ अनुसार मु0 3721-49 नगद शेष रखना जिसके मस्ट्रोल अंकेक्षण के पश्चात् दिये जिससे इस राशि के गबन का सन्देह है, मस्ट्रोलों में दैनिक हाजरी के योग नहीं दिये गये हैं और कनिष्ट अभियन्ता की पैमाइश रिपोर्ट तथा बिना स्वीकृति के अधिक व्यय करना,
11. प्राइमरी पाठशाला ठम्बा भवन निर्माण पर वर्ष 1974 में 4524-90 पैसे के स्थान पर रोकड़ में 6494-85 पैसे दिखाकर मु0 1969-95 पैसे का गबन किया है,
12. खाली कागज पर श्री मिलखी राम सुपुत्र प्रताप चन्द के रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर लेकर यह सन्देह पाया गया कि इस प्रकार साधारण व्यक्ति से लाभ उठाकर मनमानी राशि लिख कर रिकार्ड में रखी जाती है,
13. अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि कार्यवाही पुस्तक में बैठक की कार्यवाही अवैध रूप में प्रधान द्वारा स्वयं लिखना,
14. प्रधान द्वारा समय-समय पर भारी मात्रा में नगद शेष रखना,
15. स्कूल भवन जलख हेतु रोकड़ पृ0 2, दिनांक 21-7-81 को मु0 140 जमा 600–रु0 की ईंटें बनवाईं व स्टाक बुक से अनियमित खारिज कर दी जब कि ये ईंटें समय पर प्रयोग होनी चाहिये थीं। यदि स्टा बुक से खारिज की थीं तो उस पर व्यय राशि की भी विहित अधिकारी से खारिज करने की स्वीकृति लेनी चाहिये थी,
16. रोकड़ पृ0 5 पर दिनांक 30-11-81 को मु0 160–रु0 बाबत मजदूरी सिमेंट ढुलाई दी है, गलत है, क्योंकि सिमेंट लाया नहीं गया है,
17. रोकड़ पृ0 5, दिनांक 3-11-81 को मु0 164-50 पैसे व्यय माननीय राजस्व मन्त्री के आगमन पर दर्शाया गया है जो कि अनियमित है,
18. स्कूल भवन जलख हेतु मु0 8375–रु0 विकास खण्ड से प्राप्त हुआ जब कि भवन कार्य नीचे से (नींव) से आगे नहीं बढ़ाया गया है,
19. दिनांक 24-3-83 को 30 बैग सिमेंट का प्रमाण स्टाक सूची में नहीं दिखाया गया है।

और क्योंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है,

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री राम सिंह के विरुद्ध आरोपों में वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत जांच करन हेतु उप-मण्डलाधिकारी (ना0), देहरा को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। वे अपनी रिपोर्ट जिलाधीश कांगड़ा को शीघ्र प्रेषित कर देंग।

शिमला-2, 21 मार्च, 1984

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-54/81.—क्योंकि श्री राम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत विलासपुर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा के विरुद्ध अंकेक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित गम्भीर आरोप हैं :—

1. गत अंकेक्षण पत्र में दर्शाई गई आपत्तियों का समाधान न करना,
2. वाउचर संख्या 8 दिनांक 24-8-83 द्वारा जो व्यय दर्शाया है वह जाली लगता है क्योंकि वर्ष 1983 में पंचायत घर मुरम्मत का कोई कार्य नहीं हुआ,
3. वाउचर संख्या 32, 35, 36 व 37 दिनांक 24-3-83, श्री उत्तमी चन्द के लिखित ब्यान अनुसार बावड़ी निर्माण ग्राम जलख हेतु कम सामग्री कम दर से तथा कम राशि की प्राप्त की जबकि उक्त श्री उत्तमी चन्द के अनपढ़ होने के नाते प्रधान ने हस्ताक्षर अधिक दर पर करवाये जिससे मु0 635.50 पैसे की अधिक अदायगी दिखा कर इस राशि का अपहरण किया है,
4. रसीद संख्या 9 दिनांक 18-9-80 को, श्री चूहड़ू राम के ब्यान अनुसार स्कूल भवन ठम्बा के निर्माण में मिस्त्री का कार्य 6 दिन 15/- रु0 की दर से किया है जबकि रसीद पर मु0 135/- रु0 की राशि अंकित की है तथा इस प्रकार मु0 45/- रु0 का गबन किया है,
5. वाउचर संख्या 10, 11, 7 व 12, वर्ष 1980-81 अनुसार श्री लींबड़ को मु0 180/- रु0 की जाली अदायगी बाबत स्कूल भवन ठम्बा के बरामदे हेतु की गई है जबकि इस व्यक्ति ने इसमें कोई कार्य नहीं किया है,
6. प्राइमरी स्कूल भवन ठम्बा के बरामदे के निर्माण पर मु0 1748-85 रु0 वर्ष 1979-80 व 1980-81 में दर्शाया है। इस कार्य हेतु मु0 1750/- रु0 विकास विभाग से स्वीकृत हुए हैं। श्री बाल सिंह के कथनानसार इस कार्य पर मु0 1746/- रु0 व्यय हुआ है परन्तु इस कार्य का मूल्यांकन दो बार मु0 1900/- रु0 व 2803.02 पैसे किया गया है। इसके व्यय पर अदायगियों की रसीद संख्या 4, 5, 6 व 8 दिनांक 10-2-80 सन्दिग्ध है,
7. श्री बाल सिंह के ब्यान अनुसार रसीद संख्या 3 व 1, वर्ष 1980-81 अनुसार क्रमशः 35/- रु0 व 60/- रु0 की अधिक अदायगी हुई है,
8. ठम्बा स्कूल के बरामदा हेतु श्री भगवान सिंह के अनुसार वर्ष 1980-81 में रसीद पर उसके हस्ताक्षर जाली हैं तथा मु0 250/- रु0 के बजाए उसने दरवाजों की लकड़ी की कीमत मु0 150/- रु0 ही प्राप्त किए हैं। इस प्रकार 100/- रु0 का गबन किया है,
9. श्रीमती मोहि देवी बेवा बैन्ता राम को वर्ष 1978 में किराया नकद न देकर दवाइयों के रूप में देना,
10. दिनांक 27-9-83 को रोकड़ अनुसार मु0 3721.49 पैसे नकद शेष रखना जिसके मस्ट्रोल अंकेक्षण के पश्चात् देना जिससे इस राशि के गबन का सन्देह है, मस्ट्रोलों में दैनिक हाजरी के योग नहीं दिए गए हैं और बिना कनिष्ट अभियन्ता की पैमाइश रिपोर्ट तथा बिना स्वीकृति के अधिक व्यय करना,

11. प्राइमरी स्कूल ठम्बा भवन निर्माण पर वर्ष 1974 में 4524.90 पैसे के स्थान पर रोकड़ में 6494.85 पैसे दिखा कर मु0 1969.95 पैसे का गवन किया है,

12. खाली कागज पर श्री मिलखी राम सुपुत्र प्रताप चन्द के हस्ताक्षर रसीदी टिकट पर लेना सन्देह पैदा करता है कि इस प्रकार साधारण व्यक्ति से लाभ उठा कर मनमानी राशि लिख कर रिकार्ड में रखना,

13. अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि कार्यवाही पुस्तक में बैठक की कार्यवाही अवैध रूप से प्रधान द्वारा स्वयं लिखना,

14. समय-समय पर पंचायत का नकद शेष भारी मात्रा में रखना,

15. स्कूल भवन जलख हेतु रोकड़ पृ0 2 दिनांक 21-7-81 को मु0 140/- रु0 जमा 600/- रु0 की ईंटें बनवाईं व स्टाक बुक से अनियमित खारिज कर दीं जबकि इन्हें समय-समय प्रयोग में लाना चाहिए था। यदि स्टाक बुक से खारिज की थीं तो उस पर व्यय राशि की भी विहित अधिकारी से खारिज करने की स्वीकृति लेनी चाहिए थी,

16. रोकड़ पृ0 5 पर दिनांक 30-11-81 को मु0 160/- रु0 बाबत मजदूरी सिमेण्ट ढुलाई दी है जो कि गलत है क्योंकि सिमेण्ट लाया नहीं गया है,

17. रोकड़ पृ0 5 दिनांक 3-11-81 को मु0 164.50 पैसे का व्यय माननीय राजस्व मन्त्री के आगमन पर दर्शाया है जो कि अनियमित है,

18. स्कूल ठम्बा जलख हेतु मु0 8375/- रु0 विकास खण्ड से प्राप्त हुए जबकि भवन कार्य नीचे से (नींव) से आगे नहीं बढ़ाया,

19. दिनांक 24-3-83 को 30 बैग सिमेण्ट का प्रमाण स्टाक सूची में नहीं दिखाया गया है,

और क्योंकि उक्त श्री राम सिंह को उक्त आरोपों हेतु निलम्बनार्थ नोटिस इस कार्यालय के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 1-7-83 के अन्तर्गत दिया गया था और इस सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर असंतोषजनक पाया गया है,

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री राम सिंह को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिलासपुर के प्रधान पद से निलम्बन के सहर्ष आदेश देते हैं। वे अपना कार्यभार उप-प्रधान को तुरन्त सम्भाल देंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव (पंचायत)।

शिमला-2, 22 मार्च, 1984

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)-54/81.—क्योंकि श्री शमशेर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत काश्मीर, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर मु0 1194.76 पैसे की राशि को अपने पास रखने के दोषी पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त मु0 2000.00 रु0 की राशि जो खण्ड विकास अधिकारी नादौन ने पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों की पूर्ति हेतु दी थी, को सात मास तक पंचायत में जमा न करवाने तथा मु0 201.10 पैसे की

राशि दिनांक 30-6-82 व 1000/- रुपये की राशि कांगड़ा बैंक से दिनांक 28-6-82 को निकाल कर 31-3-83 तक अपने पास अनाधिकृत रूप से रखने के दोषी पाये गये हैं ;

और क्योंकि 11/- रु0 प्रति घर पंचायत क्षेत्र में गृह कर वसूल करके अपने पद का दुरुपयोग किया है और नियमों की उल्लंघना की है तथा न्यायिक कार्यवाही में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने के दोषी पाये गये हैं। इसके इलावा पंचायत द्वारा 500 पत्थरों को भी पंचायत को वापिस न करके निजी प्रयोग में लाया है ;

और क्योंकि उक्त प्रधान को उनके विरुद्ध आरोपों पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसका उत्तर विचारने पर असन्तोषजनक पाया गया है अतः उन्हें ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर रखना जनहितार्थ नहीं ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 की उप-धारा (2) के खण्ड (डी) के अन्तर्गत उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शमशेर सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत काश्मीर, जिला हमीरपुर को प्रधान के पद से तुरन्त हटाने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।